MGPE - 011 (PART-6)

HUMAN SECURITY

Important questions with answers in Hindi and English both

DISCUSS MEASURES TO EMPOWERMENT OF MARGINALISED CHILDREN IN INDIA

1. Access to Quality Education Ensuring marginalized children have access to quality education is crucial for their empowerment. Government initiatives like the Right to Education Act (RTE) aim to provide free and compulsory education for children aged 6 to 14. Non-governmental organizations (NGOs) also play a significant role in offering educational resources, scholarships, and support programs to help these children continue their studies.

गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना हाशिए पर रहने वाले बच्चों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) जैसी सरकारी पहलें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी इन बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए शैक्षिक संसाधन, छात्रवृत्तियां और सहायता कार्यक्रम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. Health and Nutrition Programs Providing access to adequate healthcare and nutrition is essential for the well-being of marginalized children. Programs like the Integrated Child Development Services (ICDS) offer health check-ups, immunizations, and nutritional supplements. These initiatives help reduce child mortality rates, improve health outcomes, and ensure children are physically and mentally fit to participate in educational and social activities.

पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और पोषण तक पहुंच प्रदान करना हाशिए पर रहने वाले बच्चों की भलाई के लिए आवश्यक है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) जैसी योजनाएं स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पोषण पूरक प्रदान करती हैं। ये पहल शिशु मृत्यु दर को कम करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि बच्चे शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं।

3. Legal and Social Protection Implementing and enforcing laws that protect the rights of marginalized children is crucial. This includes laws against child labor, child marriage, and abuse. Social protection schemes like the Juvenile Justice Act and Childline (1098) provide mechanisms for reporting and addressing abuse, ensuring that children are safe and their rights are upheld.

हाशिए पर रहने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू करना और उन्हें लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें बाल श्रम, बाल विवाह और दुर्व्यवहार के खिलाफ कानून शामिल हैं। किशोर न्याय अधिनियम और चाइल्डलाइन (1098) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए तंत्र प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं और उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही है।

4. Skill Development and Vocational Training To ensure long-term empowerment, it is vital to equip marginalized children with skills that can help them secure employment or start their own businesses. Vocational training programs and skill development initiatives, often run by government agencies and NGOs, provide practical skills in fields like IT, carpentry, tailoring, and more. These programs prepare children for the job market and foster economic independence.

दीर्घकालिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, हाशिए पर रहने वाले बच्चों को उन कौशलों से लैस करना आवश्यक है जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने या अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास पहल, जो अक्सर सरकारी एजेंसियों और एनजीओ द्वारा संचालित होती हैं, आईटी, बढ़ईगीरी, सिलाई आदि जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल प्रदान करती हैं। ये कार्यक्रम बच्चों को रोजगार के बाजार के लिए तैयार करते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं।

5. Community Engagement and Awareness Raising awareness and engaging communities in the empowerment of marginalized children is critical. Community-based programs can educate parents and guardians about the importance of education, health, and legal rights. This can change societal attitudes and practices that perpetuate marginalization. Additionally, involving community leaders and local organizations can create a supportive environment for children to thrive.

हाशिए पर रहने वाले बच्चों के सशक्तिकरण में समुदायों को जागरूक और शामिल करना महत्वपूर्ण है। समुदाय-आधारित कार्यक्रम माता-पिता और अभिभावकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। इससे हाशिए पर रहने वाली प्रथाओं और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय संगठनों को शामिल करने से बच्चों के फलने-फूलने के लिए एक सहायक वातावरण बन सकता है।

EXPLAIN GANDHIAN VISION OF HUMAN SECURITY

1. Introduction to Gandhian Vision Mahatma Gandhi's vision of human security extends beyond the traditional concept of national security, which focuses primarily on military strength and protection against external threats. Gandhi emphasized the importance of addressing the fundamental needs of individuals, including social, economic, and moral dimensions. His approach to human security is

rooted in the principles of non-violence, self-sufficiency, and social justice.

महात्मा गांधी का मानव सुरक्षा का दृष्टिकोण पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा से परे है, जो मुख्य रूप से सैन्य शक्ति और बाहरी खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित है। गांधी ने व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आयाम शामिल हैं। उनका मानव सुरक्षा दृष्टिकोण अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

2. Non-Violence (Ahimsa) Central to Gandhi's vision is the principle of non-violence or Ahimsa. He believed that true security cannot be achieved through violence or coercion but through peaceful means and mutual respect. Non-violence involves not just the absence of physical violence but also the avoidance of exploitation and injustice. Gandhi's approach advocates for resolving conflicts through dialogue and understanding, fostering a culture of peace.

गांधी के दृष्टिकोण का केंद्र अहिंसा का सिद्धांत है। उनका मानना था कि सच्ची सुरक्षा हिंसा या जबरदस्ती के माध्यम से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण साधनों और आपसी सम्मान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा में न केवल शारीरिक हिंसा का अभाव शामिल है बल्कि शोषण और अन्याय से भी बचना शामिल है। गांधी का दृष्टिकोण संवाद और समझ के माध्यम से संघर्षों को सुलझाने, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने का समर्थन करता है।

3. Self-Sufficiency (Swadeshi) Gandhi's concept of Swadeshi advocates for economic self-sufficiency at the individual and community levels. He believed that dependence on external sources for essential goods and services undermines true security. By promoting local production and consumption, communities can ensure their economic stability and resilience. This principle also supports environmental sustainability by reducing the carbon footprint associated with long-distance transportation of goods.

गांधी की स्वदेशी की अवधारणा व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की वकालत करती है। उनका मानना था कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता सच्ची सुरक्षा को कमजोर करती है। स्थानीय उत्पादन और खपत को बढ़ावा देकर, समुदाय अपनी आर्थिक स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित कर सकते हैं। यह सिद्धांत वस्तुओं के लंबी दूरी के परिवहन से जुड़े कार्बन पदचिह्न को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता का भी समर्थन करता है।

4. Social Justice Gandhi's vision of human security includes the pursuit of social justice, ensuring that all individuals have equal access to resources and opportunities. He strongly opposed social hierarchies and discrimination based on caste, religion, or gender. By advocating for the upliftment of marginalized communities, Gandhi aimed to create a society where everyone could live with dignity and security. His efforts towards eradicating untouchability and promoting women's rights are key examples of this principle.

गांधी के मानव सुरक्षा दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय की खोज शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच हो। उन्होंने जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान की वकालत करके, गांधी का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर कोई गरिमा और सुरक्षा के साथ रह सके। अस्पृश्यता को समाप्त करने और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशें इस सिद्धांत के प्रमुख उदाहरण हैं।

5. Holistic Development Gandhi's vision of human security also emphasizes holistic development, focusing on the overall well-being of individuals. This includes physical health, mental well-being, and spiritual growth. He promoted simple living, which encourages individuals to focus on their inner development and maintain a balance between material and spiritual needs. By fostering a sense of community and interconnectedness, Gandhi's approach aims to create a supportive environment where everyone can thrive. गांधी का मानव सुरक्षा दृष्टिकोण समग्र विकास पर भी जोर देता है, जो व्यक्तियों की समग्र भलाई पर केंद्रित है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास शामिल है। उन्होंने सरल जीवन को बढ़ावा दिया, जो व्यक्तियों को उनके आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। समुदाय और पारस्परिक संबंध की भावना को बढ़ावा देकर, गांधी का दृष्टिकोण एक सहायक वातावरण बनाने का लक्ष्य रखता है जहां हर कोई फल-फूल सके।

DISCUSS THE MAIN FEATURES OF UNORGANISED LABOUR IN INDIA

1. Informal Nature of Employment Unorganized labor in India is characterized by its informal nature. Workers in this sector often lack formal employment contracts, which means they do not have job security or benefits like health insurance, paid leave, or retirement pensions. Their employment is often precarious, with fluctuating income and job instability.

भारत में असंगठित श्रम का अनौपचारिक स्वभाव इसका प्रमुख लक्षण है। इस क्षेत्र के श्रमिकों के पास अक्सर औपचारिक रोजगार अनुबंध नहीं होते, जिसका मतलब है कि उनके पास नौकरी की सुरक्षा या स्वास्थ्य बीमा, सवेतन अवकाश, या सेवानिवृत्ति पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं होतीं। उनका रोजगार अक्सर अस्थिर होता है, जिसमें आय में उतार-चढ़ाव और नौकरी की अस्थिरता शामिल होती है।

2. Low Wages and Exploitation Workers in the unorganized sector typically earn low wages, often below the minimum wage prescribed by the government. This sector is also prone to exploitation, with workers facing long working hours, poor working conditions, and sometimes even child labor. The lack of regulatory oversight exacerbates these issues, leaving workers vulnerable to exploitation by employers.

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आमतौर पर कम वेतन कमाते हैं, जो अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम होता है। इस क्षेत्र में शोषण भी आम है, जिसमें श्रमिकों को लंबे कार्य घंटे, खराब कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी बाल श्रम भी शामिल होता है। नियामक निगरानी की कमी इन समस्याओं को बढ़ा देती है, जिससे श्रमिक नियोक्ताओं द्वारा शोषण के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं।

3. Lack of Social Security One of the significant challenges faced by unorganized labor is the absence of social security measures. Without access to benefits like provident funds, gratuity, and social insurance, workers in this sector are left without a safety net. This lack of social security makes them particularly vulnerable during economic downturns, health emergencies, and old age.

असंगठित श्रम द्वारा सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति है। भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और सामाजिक बीमा जैसी सुविधाओं तक पहुंच के बिना, इस क्षेत्र के श्रमिकों के पास सुरक्षा जाल नहीं है। इस सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण वे आर्थिक मंदी, स्वास्थ्य आपात स्थितियों और वृद्धावस्था के दौरान विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं।

4. Diverse and Fragmented Workforce The unorganized labor sector encompasses a wide range of occupations, including agricultural laborers, construction workers, street vendors, domestic workers, and small-scale industry workers. This diversity makes it challenging to implement uniform policies and regulations. Additionally, the workforce is often fragmented, with workers scattered across rural and urban areas, further complicating efforts to organize and protect their rights.

असंगठित श्रम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं, जैसे कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, सड़क विक्रेता, घरेलू श्रमिक और छोटे पैमाने के उद्योग के श्रमिक। यह विविधता समान नीतियों और विनियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसके अलावा, कार्यबल अक्सर बिखरा हुआ होता है, जिसमें श्रमिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैले होते हैं, जिससे उनके अधिकारों को संगठित और संरक्षित करने के प्रयास और जटिल हो जाते हैं।

5. Inadequate Legal Protection While there are some laws intended to protect unorganized labor, such as the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008, enforcement remains weak. Many workers are unaware of their rights or how to claim them. Furthermore, legal mechanisms are often inadequate or inaccessible to those in the unorganized sector, leaving many workers without recourse in cases of exploitation or unfair treatment.

हालांकि असंगठित श्रम की सुरक्षा के लिए कुछ कानून हैं, जैसे असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, लेकिन प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है। कई श्रमिक अपने अधिकारों या उन्हें कैसे प्राप्त करें, इससे अनजान हैं। इसके अलावा, कानूनी तंत्र अक्सर असंगठित क्षेत्र में उन लोगों के लिए अपर्याप्त या दुर्गम होते हैं, जिससे शोषण या अनुचित व्यवहार के मामलों में कई श्रमिकों को कोई उपाय नहीं मिल पाता।

LINK FOR OTHER PARTS IS GIVEN IN THE DESCRIPTION OR CHECK THE PINNED COMMENT...

DON'T FORGET TO SUBSCRIBE FOR MORE CONTENT LIKE THIS